BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Office Order

Our Ref: SPPD/G-6 01.05.2019

Sub: Concurrent running of Indian Standards which are not presently under certification

This has reference to Sc.'G' & Chief (Standardization) – Secretariat Office Order no. Sc.G&CS Sectt/PUB dated 23 December 2013 on 'Approval/Authorization of Finalized Documents/Draft Indian Standards/ Amendments and system of concurrent running of two Indian Standards (IS)' which *inter alia* stipulates that, if there is no existing license against an Indian Standard, it shall not be considered for concurrent running.

Since Indian Standards are cross referred in several other Indian Standards, which may be under certification/ regulation, immediate cancellation of previous version can impact their implementation.

In order to overcome such situations, it has been decided to allow <u>at least one month</u> of concurrent running of revised/ amended and earlier versions of Indian Standards, even when there is no existing license against the Standard. In line with Rule 28 of *the Bureau of Indian Standards Rules, 2018,* Director General, BIS shall be the Competent Authority to approve the exact period of concurrent running.

This order comes into force with immediate effect, in partial modification to Office Order no. Sc.G&CS Sectt/PUB dated 23 December 2013.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Dr. R K Bajaj) Scientist – G & DDG (Standardization)

Circulated to all concerned through BIS intranet

भारतीय मानक ब्यूरो

कार्यालय आदेश

आपका संदर्भः एसपीपीडी/जी-6

01.05.2019

विषयः वर्तमान में प्रमाणन के अधीन न आने वाले भारतीय मानकों का समवर्ती प्रचालन

यह वैज्ञानिक जी एवं प्रमुख(मानकीकरण) के कार्यालय आदेश सं. वैज्ञा.सी एण्ड सीएस सचिवालय/पीयूबी, दिनांक 23 दिसंबर के संदर्भ में है जो कि" दो भारतीय मानकों(आईएस) के समवर्ती प्रचालन के अंतिम दस्तावेज / भारतीय मानक मसौदे / संशोधनों तथा पद्धतियों के अनुमोदन/प्राधिकरण विषय पर है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भारतीय मानक के लिए लाइसेंस न होने पर उसके समवर्ती प्रचालन पर विचार नहीं किया जाएगा। "

चूँकि भारतीय मानकों का संदर्भ परस्पर अन्य भारतीय मानकों में होता है जोकि प्रमाणन/ विनियमन के अंतर्गत हो सकते हैं इसलिए पिछले संस्करणों को तुरंत रद्द करना, उनके कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकता है।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यह निर्णय किया गया है कि मानक के लिए लाइसेंसी न होने पर भी भारतीय मानकों के पिछले संस्करणों और पुनरीक्षित और संशोधित संस्करणों को कम से कम एक महीने तक समवर्ती रखा जाए। भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 28 के अनुसार महानिदेशक बीआईएस समवर्ती प्रचालन की सटीक अविध के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

कार्यालय आदेश सं. एससीजी & सीएस सचिवालय/पीयूबी दिनांक 23 दिसंबर 2013 में आंशिक संशोधन के साथ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी के अन्मोदन से जारी ।

(डॉ. आर. के. बजाज)

वैज्ञानिक-जी और उपमहानिदेशक(मानकीकरण)

सभी संबंधित को बीआईएस इंट्रानेट द्वारा परिचालित